भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3209

15 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग में खतरनाक क्षेत्रों की निगरानी

3209. श्री चुन्नीलाल साहू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित किए गए खतरनाक क्षेत्रों के अनुरक्षण के लिए किसी निगरानी तंत्र को दायित्व सौंपा गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ राज्य में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत विशेषकर भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिए निर्मित पुराने मकानों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है; और

(ग) क्या उक्त क्षेत्र को खतरनाक क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा भूकंपीय क्षेत्रों के वर्गीकरण (समूह) के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) संयंत्र निम्न तीव्रता वाले क्षेत्र (ज़ोन II)/मध्यम तीव्रता वाले क्षेत्र (ज़ोन III) में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, सेल के इस्पात संयंत्रों के किसी भी क्षेत्र/स्थान को सरकार द्वारा "खतरनाक क्षेत्र" घोषित/अधिसूचित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिए निर्मित कुछ घर अवैध कब्जे में हैं। यद्यपि सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में पुराने घरों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कोई "खतरनाक क्षेत्र" घोषित नहीं किया गया है तथापि, संरचनात्मक समस्याओं के कारण अयोग्य घोषित घरों पर आवश्यक कार्रवाई, जैसे कि ऐसे अयोग्य घरों को गिराने तथा उन्हें खाली कराना सुनिश्चित करने हेतु सेल द्वारा निगरानी रखी जाती है।

****